न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 68/2016

प्रेम कुमार पुत्र श्री सुरजा राम जाति जाट निवासी 21 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रजा पुत्र श्री सुरजा राम जाति जाट निवासी 21 एमएल (कुडड़ियांवाली ढाणी) तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजा राम जाति जाट निवासी 21 एमएल (कुडड़ियांवाली ढाणी) तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. हाकम सिंह पुत्र श्री बुगर सिंह जाति जट सिख निवासी 21 एमएल तह. व जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा – – प्रार्थी
2. श्री पंकज उपवेजा – – अप्रार्थी 4
3. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक :–24.09.2024

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 सगे भाई हैं तथा अप्रार्थी संख्या 3 सहखातेदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में [illegible] 21 एम [illegible] जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/38 के मुरब्बा नम्बर [illegible] कुल [illegible] 2 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 104 /313 हिस्सा रकबा प्रार्थी के [illegible] 104/313 हिस्सा रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के [illegible] 104/313 हिस्सा रकबा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से, 1/313 हिस्सा रकबा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार इसी चक 21 एम एल के खाता संख्या 43/36 के मुरब्बा नम्बर 48 की 1.100 हैक्टेयर नहरी मय खाला में से 1/ 3 हिस्सा प्रार्थी के नाम से, 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तथा 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 2 में एक ट्यूबैल लगा हुआ है तथा किला नम्बर 2 में ही ढाणी बनी हुई है। उक्त खाता संख्या 42/38 की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त की खाता की तथा खाता संख्या 43/36 की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त की खाता की भूमि है तथा कब्जा भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का हस्सानुसार संयुक्त चला आ रहा है। मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 2 में स्थित ट्यूबैल व ढाणी तथा उक्त भूमि में खड़े पेड़ पौधे भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व के हैं तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। अब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का परिवार बड़ा हो गया है तथा संयुक्त रूप से कृषि कार्य करना संभव नहीं है तथा प्रार्थी, जो कि अग्रणी काश्तकार है, अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता है, मगर रकबा संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी अपने हिस्सा के रकबा के सुधार कार्य करवा पाने में व उन्नत खेती करके अधिक पैदावार प्राप्त करने में असमर्थ है तथा आबियाना आदि अदा करने व पानी की बारी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है । इसलिए प्रार्थी उक्त रकबा का खाता विभाजन करवा कर किलावाईज रकबा अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से बार बार आग्रह किया है कि वह उक्त संयुक्त खाता की भूमि का सहमति से बंटवारा करवा प्रार्थी को एक टुकड़े में भूमि दे देवे तथा किलावाईज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लेवे, मगर अप्रार्थीगण आज कल, आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे, मगर अब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह उक्त भूमि को बिना बंटवारा के मुन्तकिल कर अनुचित लाभ कमाने की फिराक में है। प्रार्थी द्वारा आग्रह करने पर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.04.2021 को सहमति से बंटवारा करवाने इनकार कर दिया है तथा प्रार्थी को धमकी दी है कि हम तो बिना विभाजन करवाए भूमि का बेचान करेगें तथा भूमि में स्थित ढाणी व ट्यूबैल तथा पेड़ पौधों को भी खुर्द बुर्द कर देगें। तुमने जो करना है कर लो। यही वाद कारण है। यदि अप्रार्थीगण उक्त आराजी को बिना बंटवारा करवाए विक्रय/मुन्तकिल करने में तथा भूमि में स्थित ट्यूबैल, ढाणी एवं पेड़ पौधों को खुर्द बुर्द करने में सफल हो गए तो वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी तथा प्रार्थी बिना वजह मुकदमाबाजी में फंस जाएगा। इसलिए प्रार्थी इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि को ताफैसला वाद रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तातरण करने से तथा वादग्रस्त रकबा में स्थित ढाणी, ट्यूबवैल व पेड़ पौधों को खुर्द बुर्द करने से निषिद्ध रहें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। यह कि प्रार्थी का एक सबल प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन [illegible] का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना [illegible] निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में खिलाफ अप्रार्थीगण [illegible] पारित की जावे कि अप्रार्थीगण [illegible] एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/38 के मुरब्बा नम्बर 48 कुल 1.252 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 43/36 के मुरब्बा नम्बर 48 की 1.100 हैक्टेयर नहरी मय खाला को तापैसला वाद रहन, बैय या अन्य तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हस्तातरण करने से तथा वादग्रस्त रकवा में स्थित ढाणी, टयूबवैल व पेड़ पौधों को खुर्द बुर्द करने से निषिद्ध रहें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के सम्मन पर विधिवत तामील होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा वंद किया गया।

बहस विद्वान अभिभापक द्वारा सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि उक्त खाता संख्या 42/38 की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त की खाता की तथा खाता संख्या 43/36 की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त की खाता की भूमि है तथा कब्जा भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का उक्तानुसार संयुक्त चला आ रहा है। मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 2 में स्थित टयूबैल व ढाणी तथा उक्त भूमि में खड़े पेड़ पौधे भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व के हैं तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त रकवा का खाता विभाजन करवा कर किलावाईज रकवा अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से बार बार आग्रह किया है कि वह उक्त संयुक्त खाता की भूमि का सहमति से बंटवारा करवा प्रार्थी को एक टुकड़े में भूमि दे देवे मगर अप्रार्थीगण आज कल, आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे, मगर अब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह उक्त भूमि को विना बंटवारा के मुन्तकिल कर अनुचित लाभ कमाने की फिराक में है। अतः प्रकरण में अन्तरित स्थगन को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तत जमावंदी के अवलोकन से प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण सहकाश्तकार हैं, जिसमें प्रार्थी अपना खाता विभाजन करवाने हेतु स्वतंत्र है जिससे प्रथम दृष्टया प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होना प्रकट होता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी में 104/313 हिस्सा है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विवाद सहकाश्तकारों के मध्य है। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए एवं सम्पत्ति की संरक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक एवम् विवेचन के आधार पर यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति – अभिवचनों की पुनरावृत्ति से वचने के लिए दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। अधिवक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नगत आराजी पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। इस प्रकार से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होती है तो मौका एवं रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन होना संभावित है। जिससे पक्षकारों के मध्य विवाद बहुलता में वृद्धि होगी। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह सावित नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया जा सका कि अस्थायी निषेधाज्ञा खाजिर न होने की स्थिति में अप्रार्थीगण को किस प्रकार अपूर्णीय क्षति होगी। अतः यह दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी के विपक्ष में निर्णीत किये जाते हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.04.2021 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 109/2021 बअनवान प्रेम कुमार बनाम इन्द्राज रहे।

आदेश आज दिंनाक 24.09.2024 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner